भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1211

28.07.2025 को उत्तर के लिए

मिष्टी योजना

1211. श्री बैजयंत पांडा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मिष्टी (तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल) योजना के अंतर्गत पुनर्स्थापित या नव विकसित किए गए मैंग्रोव वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत सबसे अधिक वित्तीय आवंटन और लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से ओडिशा में किए गए मैंग्रोव पुनर्स्थापन कार्य का ब्यौरा क्या है, इसमें कितना क्षेत्र कवर किया गया है और कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं तथा केंद्रपाड़ा जिले में, विशेष रूप से भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र में और उसके आसपास क्या लक्षित हस्तक्षेप किये गये हैं; और

(घ) मिष्टी के भाग के रूप में नियोजन, रोपण और निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 26396.34 हेक्टेयर अवक्रमित मैंग्रोव क्षेत्र को बहाली प्रयासों के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय काम्पा से मिष्टी (तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल) के माध्यम से गैप फंडिग के तहत 3836 हेक्टेयर क्षेत्र और राज्य काम्पा, मनरेगा और अन्य स्कीमों सहित अभिसरण के माध्यम से 22560.34 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

(ख) क्षेत्र का विवरण तथा राष्ट्रीय काम्पा के माध्यम से जारी धनराशि **अनुबंध 1** में दी गई है ।

(ग) ओडिशा राज्य को मिष्टी योजना के तहत चार जिलों, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और पुरी में मैंग्रोव बहाली और वृक्षारोपण कार्यविधियों के लिए 0.70 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। ओडिशा में इस स्कीम के अंतर्गत कुल 89 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। केंद्रपाड़ा जिले में, भीतरकनिका मैंग्रोव प्रभाग में और उसके आसपास स्थित जुनुसनगर गाँव को मिष्टी योजना के अंतर्गत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान 13,750 पौधे उगाने के लिए 4.69 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जुनुसनगर ईडीसी, बलभद्रपुर ईडीसी, अजगरपतिया और अन्य सीमांत गांवों सहित पर्यावरण-विकास समिति(ईडीसी)/गांवों द्वारा लक्षित क्षेत्रों में नर्सरी तैयार करना, मैंग्रोव प्रजातियों का रोपण और आजीविका सहायक क्रियाविधियाँ जैसे मकान के पीछे वाले भाग में बत्तख पालन, मधुमक्खी के छत्तों के माध्यम से मैंग्रोव शहद उत्पादन और टेलरिंग जैसी पहल शामिल हैं।

(घ) मिष्टी स्कीम के तहत, स्थानीय समुदाय की भागीदारी कार्यान्वयन का एक प्रमुख घटक है। वन अधिकारियों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, वन सुरक्षा समितियों (वीएसएस), पर्यावरण-विकास समितियों (ईडीसी), पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्यों, शिक्षाविदों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी से बहु-हितधारक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिनका ध्यान मैंग्रोव संरक्षण और सुरक्षा पर केंद्रित होता है। मिष्टी स्कीम में मैंग्रोव संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नियमित सामुदायिक बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रावधान है। वीएसएस और ईडीसी के सदस्यों को मैंग्रोव संरक्षण और बहाली के प्रति स्थानीय प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए नर्सरी बढ़ाने, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के बाद के कार्यों और निगरानी क्रियाविधियों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

***

अनुबंध-1

"मिष्टी योजना" के संबंध में श्री बैजयंत पांडा द्वारा दिनांक 28.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1211 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका : बहाली के तहत शामिल किए गए क्षेत्र का विवरण और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मिष्टी योजना के माध्यम से राष्ट्रीय काम्पा से गैप-फंडिंग के रूप में राज्यों को जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	राष्ट्रीय काम्पा के तहत कार्यकलापों के लिए शामिल किया गया क्षेत्रफल	प्रथम किस्त में जारी की गई धनराशि (रूपए करोड़ में)
1	गुजरात	02	2500.00	6.20
2	पश्चिम बंगाल	03	478.00	3.74
3	केरल	01	13.00	0.67
4	पुडुच्चेरी	03	55.00	1.94
5	आंध्र प्रदेश	06	701.00	4.71
6	ओडिशा	04	89.00	0.70
	कुल		3836.00	17.96

*****